

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 609] No. 609] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 14, 2019/आश्विन 22, 1941

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 14, 2019/ASVINA 22, 1941

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2019

सा.का.आ. 783(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के निम्नलिखित अधिकारियों को संपूर्ण भारत के लिए जीव-नाशकजीवमार के कीटनाशी विश्लेषक के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :-

- 1. सुश्री लावन्या, वैज्ञानिक अधिकारी (नाशकजीवमार और जीव नियंत्रण)
- 2. डा. के.दामोदर चारी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी (सुक्ष्म जीव विज्ञान

[फा. सं. 13029/03/2019-पीपी-1(ई-75314]

अतीश चंद्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2019

G.S.R. 783(E).— In exercise of the powers conferred by section 19 of the Insecticides Act,1968 (46 of 1968), the Central Government hereby appoints the following officers of the National Institute of Plant Health Management at Hyderabad as Insecticide Analysts for bio-pesticides for whole of India, namely:—

- 1. Ms. Lavanya, Scientific Officer (Bio-pesticide and Bio Control).
- 2. Dr. K. Damodara Chari, Assistant Scientific Officer (Microbiology.

[F.No.13029/03/2019 -PP.I (e75314)] ATISH CHANDRA, Jt. Secy.

5357 GI/2019